राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध (पे.) संख्या 3707/2024

कृपाल सिंह पुत्र जगराज सिंह, उम्र लगभग 52 वर्ष, निवासी गांव पोहड़का, तहसील रावतसर, जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, पी.पी. के माध्यम से
2. नायब सिंह पुत्र श्री जागीर सिंह जी, निवासी गाँव पोहड़का, तहसील रावतसर, जिला हनुमानगढ़ (राज.)

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री मोती सिंह

प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री गौरव सिंह, पीपी

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>आदेश</u>

<u>01/07/2024</u>

1. याचिकाकर्ता इस न्यायालय के समक्ष विद्वान लोक अदालत द्वारा पारित दिनांक 19 अप्रैल, 2022 के आदेश से व्यथित है। विद्वान एसडीएम ने दिनांक 10.02.2020 के आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता के खिलाफ धारा 145 सीआरपीसी के तहत एसएचओ द्वारा दायर एक शिकायत को अनुमति दी, जिसके कारण उसने विद्वान सत्र न्यायालय के समक्ष एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिसे बाद में कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत लोक अदालत के समक्ष निपटान के लिए भेजा गया।

2. मामले के तथ्यों पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां मुख्य मुद्दा यह है कि क्या ऐसी स्थिति में, जहां कोई पक्ष या पक्ष विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के प्रावधानों के तहत निपटान के लिए लोक अदालत के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत नहीं होते हैं, तो लोक अदालत तब उपस्थित न होने पर उसके पास भेजे गए मामले को खारिज कर सकती है?

3. अधिनियम की धारा 20(5) के अंतर्गत निहित स्पष्ट प्रावधानों के मद्देनजर प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना अधिक कठिन नहीं है। त्वरित संदर्भ के लिए, इसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:-

> "20. लोक अदालतों द्वारा मामलों का संज्ञान-
>
> (1) xxxx
>
> (2) xxxx
>
> (3) xxxx
>
> (4) xxxx
>
> (5) जहां लोक अदालत द्वारा इस आधार पर कोई निर्णय नहीं दिया जाता है कि पक्षों के बीच कोई समझौता या समाधान नहीं हो सका है, तो मामले का अभिलेख उस न्यायालय को वापस कर दिया जाएगा, जहां से उप-धारा (1) के अंतर्गत संदर्भ प्राप्त हुआ है, ताकि कानून के अनुसार उसका निपटान किया जा सके।"

4. उपरोक्त प्रावधान में स्पष्ट रूप से यह परिकल्पना की गई है कि कोई समझौता न होने की स्थिति में, लोक अदालत को कानून के अनुसार आगे की कार्यवाही के लिए संबंधित अदालत को फाइल वापस करने का वैधानिक अधिकार है।

5. इस प्रकार यह प्रावधान उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसका पालन तब किया जाना चाहिए जब लोक अदालत किसी मामले में शामिल पक्षों के बीच समझौता या समाधान तक पहुंचने में असमर्थ हो। ऐसी स्थितियों में, जहां समझौता न होने के कारण लोक अदालत द्वारा कोई अवार्ड या निर्णय नहीं दिया जाता है, मामले का रिकॉर्ड उस अदालत को वापस भेजा जाना चाहिए, जहां से संदर्भ शुरू में प्राप्त हुआ था। फिर अदालत मामले को अपने हाथ में लेती है और उचित कानूनी प्रक्रियाओं और कानूनों के अनुसार मामले को संभालती है।

6. इस मामले में याचिकाकर्ता ने निपटान कार्यवाही के लिए लोक अदालत के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत नहीं किया। इस आधार पर, सबसे खराब स्थिति में भी, जो हुआ वह यह था कि धारा 20, उपरोक्त की उपधारा (5) के अर्थ में कोई समझौता नहीं हो सका, क्योंकि पक्षकारों ने लोक अदालत के समक्ष कार्यवाही में भाग नहीं लिया। इसलिए, लोक अदालत के पास उपलब्ध एकमात्र उपाय कानून के

अनुसार आगे की कार्यवाही के लिए मामले को उचित न्यायालय में वापस भेजना था।

7. मेरा मानना है कि विद्वान लोक अदालत ने आक्षेपित आदेश पारित करके स्पष्ट रूप से अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है, क्योंकि इसमें किसी मामले को डिफॉल्ट होने पर खारिज करने की शक्तियां निहित नहीं हैं। इसलिए आपराधिक विविध मामले संख्या 192/2024 में विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 19 अप्रैल, 2022 को रद्द किया जाना चाहिए, और ऐसा आदेश दिया जाता है।

8. याचिकाकर्ता की पुनरीक्षण याचिका संख्या 15/2023 को इस प्रकार उसकी मूल स्थिति में बहाल किया जाता है, और याचिकाकर्ता कानून के अनुसार आगे की कार्यवाही के लिए उचित आवेदन दायर करके संबंधित अदालत से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र है।

(**अरुण मोंगा**),**जे**

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।